B-347
L-15
I. Polity

## फ्रांसीसी और अमेरिकी पंथ निरपेक्षता राज्य का मॉडल

- फ्रांस के पंथ निरपेक्षता राज्य में राज्य एवं पंथ के बीच एकतरफा अलगाव विद्यमान होता है जिसके अन्तर्गत राज्य के द्वारा पंथ के मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है लेकिन पंथ के द्वारा राज्य के किसी भी विधि, नीति में हस्तक्षेप नही किया जायेगा।

- फ्रांस में राज्य के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों के पहनावे पर प्रतिबंध तथा सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के को भी प्रतिबांधीत किया गया है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

### अमेरिकी पंथनिरपेक्षता :

अमेरिका में राज्य और पंथ के बीच दो तरफा अलगाव पाया जाता है क्योंकि राज्य के द्वारा पंथ की गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नही होगा और न ही पंथ के द्वारा राज्य के किसी कार्य में दखल दिया जाएगा।

- फ्रांस और अमेरिका के पंथनिरपेक्ष राज्य में केवल पंथ और राज्य के बीच अलगाव की बात की गई है जबकि भारत में पंथनिरपेक्षता का आशय सकारात्मक है जहाँ सर्व धर्म संभाव का विचार भी स्वीकार किया जाता है।



Scanned by CamScanner

## राज्य के द्वारा पंथ की गतिविधियों में हस्तक्षेप

- लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर राज्य पंथ के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है तथा पंथ से जुड़ी हुई लौकिक गतिविधियों में भी राज्य के हस्तक्षेप होंगे। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप किस सीमा तक होने चाहिए इसके लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंथ के मूलभूत लक्षण और गौण लक्षणों का विभाजन किया गया है।

मूल लक्षण पंथ की मूल मान्यता अथवा मूल विश्वास है, जबकि पटाखे फोड़ना लाउडस्पीकर बजाना, पशुबलि करना पंथ के गौण लक्षण हैं जिस पर राज्य के द्वारा प्रतिबंध आरोपित किये जायेंगे।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

## धार्मिक अधिकार और धर्मांतरण :

- संविधान में न तो धर्मांतरण का प्रावधान दिया गया है और न तो इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं।

- उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा धर्मान्तरण को प्रतिबंधित करने के लिए विधि का निर्माण किया गया और इसके अनुसार निम्नलिखित तीन आधारों को प्रमुख माना गया है।
(i) बल
(ii) लोभ
(iii) कपट



Scanned by CamScanner

इस अधिनियम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया जिसमें न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण धार्मिक प्रचार के अधिकार में शामिल नहीं है और उपरोक्त तीन आधारों पर धर्मान्तरण दण्डनीय अपराध होगा।

- धर्मांतरण को लोक व्यवस्था के कारण सीमित किया जा सकता है।

धर्म → कर्तव्य
धर्म → नैतिकता
धर्म → गुणस्वभाव

पंथ (उपासना पद्धति)
- ईश्वर पारलौकिक शक्ति
- धार्मिक उपासना स्थल
- धार्मिक ग्रंथ

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

## सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षता

- इस मुद्दे पर मतभेद विद्यमान है कि पंथनिरपेक्षता राज्य और पंथ के बीच अलगाव है अथवा संस्कृति और राज्य के बीच अलगाव है।
- संस्कृति और राज्य के बीच अलगाव को ही सांस्कृतिक पंथनिरपेक्षता कहते हैं।
- भारत में इस संबंध में पहला मत यह है कि राज्य के द्वारा हिन्दू संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि हिन्दू उपासना पद्धति नहीं है अपितु संस्कृति है।



Scanned by CamScanner

- जबकि आलोचक मानते हैं कि हिन्दू संस्कृति के नाम पर बहुमतवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विरुद्ध है।

अधिकार

⇓

अनुच्छेद - 25
अनुच्छेद - 26
⇓
धार्मिक अधिकार

अनुच्छेद - 27
अनुच्छेद - 28
राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं जिससे धर्म विशेष को बढ़ावा न दिया जाए।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES

## धार्मिक संस्थानों के प्रबंध का अधिकार

- अनुच्छेद - 25 व्यक्ति को दिये गये अधिकार हैं जबकि अनुच्छेद - 26 में धार्मिक संप्रदाय को या समूहों को भी अधिकार दिया गया है और उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी धार्मिक समूह की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए।

(i) साझी पहचान
(ii) समान सिद्धांत
(iii) एक जैसे धार्मिक विश्वास और मान्यताएँ
(iv) अनुच्छेद - 26 पर भी अनुच्छेद 25 के प्रतिबंध लागू होते हैं।

(v) सभी धार्मिक समूहों को प्रबंधित संपति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार है जो विधि के द्वारा होना चाहिए।

## राज्य पर आरोपित प्रतिबंध

- पंथ निरपेक्ष राज्य में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर आरोपित नही किया जा सकता और राज्य द्वारा कर या टैक्स का कोई भी भाग धर्म विशेष के उत्थान के लिए खर्च नही किया जायेगा। (अनुच्छेद - 27)

- राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा देने पर भी प्रतिबंध है लेकिन अनुच्छेद-28 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है।

(a) पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएँ जैसे- केन्द्रीय विश्व विद्यालय, नवोदय विद्यालय जिसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा संभव नही है।

(b) लेकिन किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।

(c) ऐसी शैक्षणिक संस्थायें जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं इसमें छात्रों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और यदि



KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

Scanned by CamScanner

छात्र अल्पवयस्क है तो अभिभावकों से सहमति लेना आवश्यक है।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR



Scanned by CamScanner